अध्याय 9 अनुशंसाएँ

भारत सरकार ने गांवों के विद्युतीकरण के लिए आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना), डीडीयुजीजेवाई और सौभाग्या योजनाएं शुरू की थीं। ग्रामीण विद्युतीकरण उपायों में योगदान करने के लिए, राज्य सरकार ने जेएसबीएवाई, एजीजेवाई और टीएमकेपीवाई जैसी राज्य प्रायोजित योजनाओं को भी लागू किया। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद विभिन्न परियोजनागत बाधाओं के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।
ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित अनुसंशाओं को लागू करने पर विचार कर सकती है:

- जेबीवीएनएल यह जांच करे कि विद्युतीकरण कार्यों की योजना बनाते समय उचित सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया और व्यापक डेटाबेस क्यों नहीं तैयार किया गया तथा दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करे। भविष्य के लिए, जेबीवीएनएल को भौतिक सर्वेक्षण के अलावा परिसंपत्ति डेटाबेस बनाने और उसके रख-रखाव के लिए जीआईएस पर आधारित आधुनिक तकनीकों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए।

- जेबीवीएनएल को मीटर-विहीन ग्रामीण परिसरों में मीटर लगाकर, ग्रामीण उपभोक्ताओं को नियमित आधार पर बिलिंग करके, गांवों में नजदीकी संग्रह केंद्र स्थापित करके और ऊर्जा मित्र द्वारा स्पॉट बिलिंग तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क के संग्रह में सुधार के लिए समयबद्ध प्रयास करना चाहिए। उच्च-हानि वाले क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और आनुपातिक शुल्क वसूल करने में विफल रहने के लिए संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

- जेबीवीएनएल को निष्क्रिय पड़े कृषि फीडरों और समर्पित विद्युत लाइनों को चार्ज करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। जेबीवीएनएल को विद्यमान कृषि उपभोक्ताओं को पृथक्कीकृत कृषि फीडरों में स्थानांतरित नहीं करने के कारणों की भी जांच करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

- जेबीवीएनएल को निष्क्रिय संपत्तियों जैसे पीएसएस, संबद्ध विद्युत लाइनों आदि का तत्काल अनुकूलतम उपयोग करना चाहिए ताकि उनके निर्माण पर किया गया खर्च धनोत्पादक बन जाए। सही ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा हानि वाले क्षेत्रों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर मीटर लगाए जाने चाहिए।

- लेखापरीक्षा द्वारा उजागर की गई परियोजनागत बाधाओं, जैसे कि समय पर उपयुक्त भूमि प्रदान करने में विफलता और वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में विफलता का विद्युतीकरण कार्यों की शुरूआत से पहले निराकरण किया जाना चाहिए ताकि वे समयबद्ध तरीके से पूरे हो सकें। विभाग द्वारा समय सीमा के भीतर कार्यों के पूरा न होने के कारणों का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाना चाहिए जिससे इसकी पुनरावृति से बचा जा सके। सभी कार्य, जो वर्तमान में निर्धारित समय से पीछे हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सूक्ष्म अनुश्रवण किया जाना चाहिए।

- एनआईटी/एसबीडी/डीओएफपी शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि अनुबंध प्रबंधन परियोजनाओं के प्रभावी, कुशल और मितव्ययी निष्पादन का सार है।

- विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डीईसी मानदंडों के अनुसार बैठक करे और सुधारात्मक कार्रवाई एवं जवाबदेही तय करने के लिए इस प्रतिवेदन में उजागर हुए समस्याग्रस्त क्षेत्रों की समीक्षा में रचनात्मक रूप से शामिल हों।

राँची **(इन्दु अग्रवाल)**

दिनांक: 02 जून 2022 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 20 जून 2022 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**